कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 554 /14-1 दिनांक कानपुर, अगस्त, 09 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

विषयः– जनपद फर्रूखाबाद–फतेहगढ़–गुरसहायगंज रोड (एस0एच0–29ए) किमी0 नं0 9 (चैनेज 8.053) बांयी पटरी पर खसरा सं0–634 मि0 ग्राम–भूलनपुर चिरपुरा, परगना–भोजपुर, तहसील–सदर, जिला–फर्रूखाबाद पर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोलियम लि0 द्वारा प्रस्ताविक रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपकी पत्र संख्या 63/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/32858/2018 दिनांक 09.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद ने अपने पत्रांक–212/14–1 दिनांक 23.07.2019 द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में भरकर एवं संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियां मय सी0डी0 सहित मूल में संलग्ल कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क0सं0	आपत्ति	आख्या
1	2	3
1	वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु प्रमाण पत्र में Linear अंकित था, सफेदा लगाकर Non Linear अंकित किया गया है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कराकर जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि Non Linear को सत्यापित कर दिया गया है, जिसे ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया हैं।
2	ऑनलाइन भाग–2 में पुनः 922 पेड़ अपलोड किये है, किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक बताये गये है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में अपलोडल किये गये वृक्षो की संख्या से स्पष्ट लग रहा है कि वृक्षो की गोलाई दिखाई पड़ रही है, अतः अन्तर को स्पष्ट करते हुये वास्तविक वृक्षों की संख्या एवं बाधक वृक्षो की सूची वैज्ञानिक नाम सहित संलग्न कर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रस्तावित स्थल पर 05 वृक्ष बाधक है जिनको ऑनलाइन भाग–2 में पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। साक्ष्यबतौर ऑनलाइन भाग–2 के प्रिंटआउट की प्रति साथ में संलग्न है। ऑनलाइन भाग–2 में 922 पेड़ पूर्व में इस कार्यालय से अपलोड नहीं किये गये हैं इसलिए बाधक वृक्षों की संख्या में कोई अन्तर नही है।

संलग्नकः–(प्रस्ताव की 03 प्रतियां मूल मे मय सी0डी0 सहित)।

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्याः 554 अ/ समदिनांकित

प्रतिलिपिः–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद को उनके पत्रांक–212/14–1 दिनांक 23.07.2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप महा प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 क्षेत्रीय कार्यालय आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

O/C

osc:spcial/ Letter AUGST. 2019

Scanned by CamScanner